

मान्यता कोड : RJDLP31428

प्रारूप - 2

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी DHAULPUR , राजस्थान

क्रमांक: 229

दिनांक 26/3/2021

सचिव


प्रबंध समिति

ST JOSEPH S INTERNATIONAL SCHOOL DHOLPUR RAJASTHAN

विषय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 8-क के उप- नियम(4) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 37701 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, ST JOSEPH S INTERNATIONAL SCHOOL DHOLPUR RAJASTHAN पता NEAR RAILWAY STATION ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय NAGAR PALIKA ब्लॉक DHOLPUR को शैक्षिक सत्र 2020-21 से निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

मान्यता का प्रकार	क्रमोन्नति
मान्यता का माध्यम	Both
मान्यता के वर्ष से ही कक्षा 7 एवं 8 के संचालन की अनुमति	Yes


जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रारम्भिक, धौलपुर

मान्यता कोड : RJDLP31428

प्रारूप - 2

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी DHAULPUR, राजस्थान

19. विद्यालय को यह मान्यता शासन के पत्र क्रमांक प.9(1)शिक्षा-5/भूमि रूपान्तरण/2016 दिनांक 25.11.2020 एवं दिनांक 12.01.2021 के अनुसरण में शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए अस्थायी रूप से निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है

(i) शैक्षिक सत्र 2020-21 एवं इससे पूर्व के सत्रों से स्वयं के भवन अथवा पंजीकृत किराएनामे के आधार पर किराए के भवन में संचालित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूरूपान्तरण की अनिवार्यता में शिथिलन प्रदान करते हुए आगामी 3 वर्ष (शैक्षिक सत्र 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23) की अवधि तक अस्थायी छूट प्रदान कर उक्त स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त समयवधि में संस्था को शैक्षणिक/संस्थानिक रूपान्तरित भूमि पर भवन बनाकर संस्था को स्थानान्तरित करना आवश्यक होगा, अन्यथा संस्था को दी गई मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जावेगी। उक्त अवधि समाप्ति के बाद संस्था को भूरूपान्तरण में किसी भी प्रकार का शिथिलन नहीं दिया जावेगा।


(ii) इस अवधि में नियमानुसार भूमि रूपांतरण करवा कर भूमि रूपांतरण के दस्तावेज सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।


(iii) निर्धारित अवधि में नियमानुसार भूमि रूपांतरण नहीं होने पर मान्यता प्रभावी नहीं रहेगी तथा इन कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।

(iv) विद्यालय द्वारा इस आशय का परिवाचन (Undertaking) क्षतिपूर्ति बंध पत्र शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 2 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
- 3 वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 4 रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रारम्भिक, धौलपुर


जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रारम्भिक, धौलपुर